बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
!! निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ !!
आदेश

आ०सं०– 6/एन0–08–01/2026–.............................. /पटना–15, दिनांक–......................................

निजी प्रक्षेत्र में संचालित नर्सिंग प्रशिक्षण संस्थान जेम्स स्कूल ऑफ नर्सिंग, जेम्स कैम्पस, सिकरिया, इन्द्रपुरी, रोहतास–821308 को बिहार परिचारिका निबंधन परिषद्, पटना द्वारा दिनांक–29.03.1984 को ए0एन0एम0 के लिए 15 सीटों पर अनापति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया था। बाद में भारतीय उपचर्या परिषद्, नई दिल्ली द्वारा दिनांक–28.10.2013 को निर्गत अनुमति में सीटों की संख्या बढ़ाकर 30 कर दी गई थी।

2–बिहार परिचारिका निबंधन परिषद्, पटना के ज्ञापांक–441/बी0एन0आर0सी0, दिनांक–15.02.2024 द्वारा निर्गत आदेश में गोसपेल इकोइंग मिशनरी सोसाईटी द्वारा संचालित जेम्स स्कूल ऑफ नर्सिंग, जेम्स कैम्पस, सिकरिया, इन्द्रपुरी, रोहतास–821308 के ए0एन0एम0 कोर्स की अवधि विस्तार की गई है।

3–जेम्स स्कूल ऑफ नर्सिंग, जेम्स कैम्पस, सिकरिया, इन्द्रपुरी, रोहतास–821308 के अध्यक्ष/सचिव द्वारा दिनांक–07.03.2025 को बिहार परिचारिका निबंधन परिषद्, पटना को समर्पित आवेदन में अकादमिक वर्ष 2025–2028 तक अपने संस्थान का अवधि विस्तार करने का अनुरोध किया गया है।

4–QCI द्वारा निरीक्षणोपरान्त समर्पित मूल्यांकन प्रतिवेदन में जेम्स स्कूल ऑफ नर्सिंग, जेम्स कैम्पस, सिकरिया, इन्द्रपुरी, रोहतास–821308 को Excellent श्रेणी में रखा गया है।

अतः उक्त संस्थान को पूर्व में प्रदत्त मान्यता के आलोक में QCI से प्राप्त मूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर अकादमिक सत्र 2025–26 से अगले तीन वर्ष अथवा नर्सेज ट्रेनिंग रिकोगनिशन, एफिलिएशन एव कंडक्ट ऑफ एक्जामिनेशन्स ऑफ स्कूल ऑफ नर्सिंग रूल्स, 1997 में निहित प्रावधान के आलोक में निरीक्षण प्रतिवेदन आने तक, इनमें से जो भी पहले हो, पूर्व निर्धारित सीटों के साथ मान्यता जारी रखने की सहमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि संस्थान को तीन वर्ष के अन्दर निरीक्षण कराना अनिवार्य होगा।

ह0/–
(डॉ0 रेखा झा),
निदेशक प्रमुख (नर्सिंग)।

ज्ञापांक : 6/एन0–08–01/2026–107(6A) पटना दिनांक–10/02/2026

प्रतिलिपिः–सचिव, भारतीय उपचर्या परिषद्, 8वां तल्ल, एन0बी0सी0सी0 सेंटर, प्लॉट नं0–2, कम्यूनिटी सेंटर, ओखला फेज–01, नई दिल्ली–110020 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–निबंधक, बिहार परिचारिका निबंधन परिषद, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेशित है कि संस्थान से निरीक्षण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि रूपये 75,000/– (पच्चहर हजार) को राज्य सरकार के कोष में जमा करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपिः–निबंधक/परीक्षा नियंत्रक, बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, मीठापुर फॉर्म एरिया, मीठापुर, पटना–800001 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–विशेष कार्य पदाधिकारी, बी0सी0ई0सी0ई0बोर्ड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–जिला पदाधिकारी/सिविल सर्जन, रोहतास को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य, जेम्स स्कूल ऑफ नर्सिंग, जेम्स कैम्पस, सिकरिया, इन्द्रपुरी, रोहतास–821308 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/विशेष सचिव, प्रभारी प्रशाखा–06 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख (नर्सिंग)।